न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर जिला अजमेर

विविध राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या.....12...../15

मंगला व अन्य

बनाम

कमला व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

01–श्री एन0एस0राजावत

प्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 13.04.2015

संक्षेप मे प्रकरण के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्राथी/वादी अभिभाषक ने प्रार्थना अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे वादी संख्या 1 मंगला पुत्र श्री कालू का देहान्त दिनांक 08.06.2014 को हो चुका है तथा उसके विधिक वारिसान को राईट टू स्यू सरवाईव करता है वादिगण को विधिक प्रावधानो की जानकारी नही होने के कारण प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया। इसलिए अबेटमेन्ट को समाप्त किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य करते हुए मृतक मंगला के विधिक वारिसानो को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी अभिभाषक को प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय रूप से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दाहराते हुए नरम रूख अपनाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार कर विधिक वारिसानो को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमारे विनम्र मत मे प्रस्तुत प्रकरण मे विधिक स्थिति इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद वास्तेउद्घोषणा , बटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जिसमे सभी सह–खातेदार आवश्यक पक्षकार है तथा ग्रामीण व्यक्तियो को विधिक स्थिति की जानकारी नही होती है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण मे सदभाविक कारण होने के कारण प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय की दृष्टि से उचित है एंव हितबद्ध पक्षकार को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना अति आवश्यक है। अतः वाद मे दशाई शास्ति राजस्व बार मे अदा करने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अबेटमेन्ट को सेटअसाईट करते हुए प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर विधिक वारिसानो को रेकार्ड पर लेते हुऐ मृतक मंगला का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 13.04.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर।